न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील सख्या–439/2010

1–भैरू पुत्र श्री छोटू (विड्रा)

2–मुरली पुत्र भैरू

3–श्रीमति तीजादेवी पत्नि जेताराम

4–जेता पुत्र रूघनाथ

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

––प्रार्थी/अपीलान्ट्स––

बनाम

1–कालू पुत्र छोटू

2–गंगासहाय पुत्र छोटू

3–बद्री पुत्र छोटू

4–नन्दा पुत्र दूला

5–रामनारायण पुत्र छोटू

6–रामनाथ पुत्र मुन्ना

7–बरजी बेवा गंगाबक्स

8–फूलीदेवी पत्नि भैरूराम

9–रामनाथ पुत्र घीसा

10–कजोड पुत्र रामनाथ

11–तीजादेवी पत्नि मालीराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

12–अर्जुनसिंह पुत्र प्रभूदानसिंह

13–भगवान कंवर पत्नि रामसिंह

14–सावित्री कंवर पत्नि माधोसिंह

समस्त जाति बारेठ चारण निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

15–काजल पुत्री स्व0 माधोसिंह

16–झूली पुत्री स्व0 माधोसिंह

17–निरज पुत्री स्व0 माधोसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

18–गुडिया उर्फ आशा पुत्री स्व0 माधोसिंह

19–मीनू पुत्री स्व0 माधोसिंह

समस्त नाबालिंग जरिये गार्जियान् माता सावित्री पत्नि माधोसिंह जाति बारेठ चारण, निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

20–उप–पंजीयक महोदय, चौमूँ, जिला जयपुर।

21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

22–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली तहसील चौमूँ जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

23–ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चौमूँ जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

––प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स––

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1–श्री सुरेश चाहर अपीलांट्स संख्या 04 की ओर से

2–श्री पी.एल. माथुर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 04 की ओर से

एवम

अपील सख्या–06/2011

1–भैरू पुत्र श्री छोटू (विड्रा)

2–मुरली पुत्र भैरू

3–जेता पुत्र रूघनाथ

4–फूली देवी पत्नि भैरूराम (विड्रा)

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

––प्रार्थी/अपीलान्ट्स––

बनाम

1–रामनारायण पुत्र छोटू जाति अहीर निवासी–ग्राम धौबलाई, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

2–कालू पुत्र छोटू

3–गंगासहाय पुत्र छोटू

4–बद्री पुत्र छोटू

5–नन्दा पुत्र दूला

6–रामनाथ पुत्र मुन्ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7–बरजी बेवा गंगाबक्स

8–रामनाथ पुत्र घीसा

9–कजोड पुत्र रामनाथ

10–तीजा देवी पत्नि मालीराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

11–अर्जुन सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह

12–भगवान कंवर पत्नि रामसिंह

13–सावित्री कंवर पत्नि माधोसिंह

समस्त जाति बारेठ चारण निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

14–काजल पुत्री स्व0 माधोसिंह

15–झूली पुत्री स्व0 माधोसिंह

16–निरज पुत्री स्व0 माधोसिंह

17–गुडिया उर्फ आशा पुत्री स्व0 माधोसिंह

18–मीनू पुत्री स्व0 माधोसिंह

समस्त नाबालिंग जरिये गार्जियान् माता सावित्री पत्नि माधोसिंह जाति बारेठ चारण, निवासी ग्राम–धोबलाई, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

19–उप–पंजीयक महोदय, चौमूँ, जिला जयपुर।

20–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

21–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली तहसील चौमूँ जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

22–ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चौमूँ जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।

––प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स––

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1–श्री सुरेश चाहर अपीलांट्स की ओर से

2–श्री पी.एल. माथुर रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22/11/2017**

1– उक्त दोनों अपील निर्णय दिनांक 09/12/2010 जो कि उनवानी प्रकरण कालूराम व अन्य बनाम व रामनारायण व अन्य प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

26/2008 तथा रामनारायण बनाम भैरू व अन्य प्रकरण संख्या 266/194/2008 में कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।दोनों अपील एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण उनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट अर्थात् वादीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा एक वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी कालूराम व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य वाद पत्र संख्या 26/2008 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर के समक्ष अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 05 ता 23 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वाद पत्र के मद संख्या 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 694/2, 695/2, 696, 697/1867 कुल किता 04 का कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 694/1, 695/1, 703, 704/1749, 723, 724 कुल किता 06 का कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617, 617/1768, 618, 619 कुल किता 04 का कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 ता 541, 584, 616/1760 कुल किता 12 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577, 578, 580 लगा. 583, 585/1852, 586, 587, 589, 590, 593 कुल किता 12 का कुल रकबा 4. 64 हैक्टेयर वाके—ग्राम धौबलाई, तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज0 में स्थित का तकासमा वाद पत्र के मद संख्या 17 के उपमद (क) में वर्णित अनुसार किये जाने तथा उपमद (ख) में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया।इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या 266/194/2008 रामनारायण बनाम भैरू व अन्य भी इसी वादग्रस्त आराजी के समन्ध में प्रस्तुत किया गया।उक्त दोनों वाद समेकित किये जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09/12/2010 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त उनवानी प्रकरण कालूराम व अन्य बनाम रामनारायण व अन्य प्रकरण संख्या 26/2008 में पारित निर्णय दिनांक 09/12/2010 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों एवं मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलान्ट भैरू का माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रकरण आराजी कुल किता 12 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बाबत् विचाराधीन हैं।उनवानी प्रकरण भैरू बनाम कालू व अन्य प्रकरण संख्या 45/2008 घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद हैं जिसमें कि अपीलान्ट भैरू के विवादित भूमि में निहित हक अधिकार तय किये जाने है। कानूनन उपरोक्त प्रकरण तथा अन्य समेकित प्रकरण रामनारायण बनाम भैरू व अन्य का एक साथ निर्णित किया जाना चाहिए था।अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो के विपरीत व दस्तावेजातो तथा प्रकरणों का गहनता से अवलोकन किये बिना ही उपरोक्त उनवानी प्रकरण तथा अन्य समेकित प्रकरण रामनारायण बनाम भैरू व अन्य प्रकरण संख्या 266/194/2008 में आदेश 15 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 09/12/2010 को विधि विरूद्ध रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के आदेश पारित किये, जो निरस्त किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार चौमूँ की कब्जा बाबत् रिपोर्ट दिनांक 10/09/2008 का भी तकासमा किये जाते समय अवलोकन किये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया है, जो साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।अपीलान्ट भैरू द्वारा विवादित आराजीयात् में निहित स्वयं के क्रमशः 1/10 भाग तथा 1/6 भाग सम्पूर्ण को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर जरिये रजि0 विक्रय–पत्र के दिनांक क्रमशः 12/08/2008 को तथा दिनांक 12/08/2008 को अपीलान्ट संख्या 3 श्रीमती तीजा देवी को विक्रय किया जा चुका था, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी भी समस्त रेस्पोडेन्टस को थी। इसके पश्चात् भी रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 04 द्वारा मिथ्या आधार पर अपने वाद पत्र के मद संख्या 02 में गलत हिस्सा वर्णित कर तकास्मे का आनुतोष चाहा गया,आलौच्य अपीलाधीन निर्णय पक्षकारो के साम्पतिक अधिकारो के विपरीत जाते हुए पारित किया है, जिस कारण भी उक्त आदेश निरस्तनीय है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09/12/ 2010 में अपीलान्ट द्वारा उनवानी प्रकरण रामनारायण बनाम भैरू व अन्य प्रकरण संख्या 226/194/2008 में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम् बाबत् किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नही किया गया है।अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/12/2010 की जानकारी अपने अधिवक्ता से दिनांक 20/12/2010 को सम्पर्क करने तत्पश्चात् प्रतिलिपि दिनांक 21/12/2010 को प्राप्त होने के कारण उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।प्रकरण संख्या 439/2010 के अपीलांट संख्या 01 द्वारा एवम् प्रकरण संख्या 6/2011 के अपीलांट संख्या 01 व 04 के द्वारा अपनी हद तक अपील को विड्रा कर लिया गया।अपीलांट संख्या 02 वरवक्त बहस अनुपस्थित रहें।

5— प्रकरण संख्या 439/2010 के अपीलांट संख्या 3 व 4 एवं प्रकरण संख्या 6/2011 के अपीलांट संख्या 03 के अधिवक्ता की ओर से अपील में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 04 ने एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि0 चौमूँ उनवानी कालूराम वगैरह बनाम रामनारायण वगैरह राजस्व वाद संख्या 26/2008 प्रस्तुत कर हाल अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लगायत 23 के विरूद्ध प्रस्तुत कर वाद में वर्णित ग्राम धौबलाई तहसील चौंमूँ जिला जयपुर में स्थित भूमि का तकासमा वाद पत्र के मद संख्या 17 के उपमद (क) मे वर्णित अनुसार किये जाने तथा उपमद (ख) में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा इन्हीं खसरा नम्बर की भूमि का एक अन्य वाद उनवानी रामनारायण बनाम भैरू वगै मुकदमा संख्या 266/194/2008 पूर्व में ही प्रस्तुत कर रखा था व 151 सीपीसी का कंसोलिडियेशन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी का एक साथ निर्णय व आदेश पारित करते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए दिनांक 09/12/2010 को प्राथमिक डिक्री पारित की हैं।अपीलान्टस ने एक वाद भैरू बनमा कालू व अन्य सहायक कलेक्टर चौमूँ में प्रस्तुत कर रखा था जो स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने के सम्बन्ध में था व वर्तमान में विचाराधीन हैं।उपरोक्त उनवानी प्रकरण भैरू बनाम कालू वगै में वर्णित भूमि कुल किता 13 कुल रकबा 6.82 हैक्टेयर अन्य प्रकरण रामनारायण बनाम भैरू व अन्य में भी विवादित भूमि है,जिसका ज्ञान समस्त रेस्पोडेन्ट तथा अधिनस्थ न्यायालय को था। इन सब तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी भूल की हैं।हाल अपीलांट ने काउंटण्टर क्लेम भी प्रस्तुत कर रखा था इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो मैलाफाईड इन्टेन्शन से पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हैं।अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से भैरू द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 45/2008 भैरूराम बनाम कालू का मकसद (अस्तित्व) ही समाप्त हो गया। दिनांक 10/09/2008 को तहसीलदार चौमूँ द्वारा विवादित आराजीयात बाबत बनाई गयी किसी भी मौका रिपोर्ट का अपीलान्टस को किसी प्रकार की जानकारी नहीं रही कानूनन कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट बनाई ही नहीं जा सकती है इस ओर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर ना कर निर्णय पारित कर दिया।भैरू द्वारा विवादित भूमि में से अपने सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय हाल अपीलान्ट संख्या 3 श्रीमति तीजा देवी पत्नी जेताराम को दिनांक 12/08/2008 को कर दिया। इसके पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 04 द्वारा अपने वाद के मद संख्या 2 में गलत हिस्सा वर्णित कर तकासमें का अनुतोष चाहा गया। अपीलान्ट संख्या 03 व 04 की लिखित बहस रिकार्ड पर ली जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

6– बहस का जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 3 व 5 की ओर से लिखित बहस कर कथन किया गया कि प्रस्तुत अपीलान्टस ने मैमो ऑफ अपील में डिक्री को निरस्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना नही की गई है।लिखित बहस में भी डिक्री को अपास्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्तियॉ व इस्तदुआ नही की गई है।कानून अपील, डिक्री के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत योग्य है,अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रहे सभी पक्षकारों को पक्षकार प्रस्तुत अपील में पक्षकार संयोजित नही किया है,इस कारण अपील खारिज योग्य है।अपीलान्टस ने अपनी अपील एवं लिखित बहस में आधार हीन तथा जानबूझकर असत्य कथन लिखे है।मूल राजस्व वाद संख्या 266/194/2008 रामनारायण बनाम भैरू तथा मूल राजस्व वाद संख्या 26/2008 कालूराम बनाम रामनारायण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09/12/2010 के द्वारा कन्सोलिडेट किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 09/12/2010 को निर्णय पारित किया गया है।जिसको अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार ने कोई कार्यवाही नही की है तथा उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है।उपरोक्त दोनों वाद पक्षकारों द्वारा केवल मात्र विवादग्रस्त आराजीयात के तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत किये गये है। इनके अलावा अन्य कोई दादरसी नही चाही गई है।इन प्रस्तुत दावो में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध में कोई इस्तदुआ किसी भी पक्षकार द्वारा नही चाही गई है।वादी भैरू ने अपने उक्त वाद संख्या 45/2008 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 26/05/2014 को ही विड्रा कर लिया है तथा उक्त कोई तीसरा वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र दो ही नियमित राजस्व वाद, वाद संख्या 266/194/2008 तथा वाद संख्या 26/2008 लम्बित थे जिनमें डिक्री दिनांक 09/12/2010 पारित की जा चुकी है। जिसकी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत ही नही की है।अपीलान्टस द्वारा यह कथन किया जाना असत्य है कि कब्जा बाबत रिपोर्ट दिनांक 10/09/2008 का भी तकास्मा किये जाते समय अवलोकन किये जाने बाबत कथन निरस्तनीय है।कानूनन तकासमे के समय कब्जा व किये गये कृषि इम्पूमेन्ट्स को देखा जाना आज्ञात्मक आवश्यक है।अपीलान्टस का सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय अपीलान्ट संख्या 3 तीजा देवी को नहीं कर दिया है, भैरू ने अपने खातेदारी अधिकारों में से कुछ हिस्सा ही विक्रय किया है जिसका उपरोक्त वर्णित दोनों दावे जो कनसोलिडेड किये गये है पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।प्रस्तुत अपील में प्रतिवादी भैरू पक्षकार ही नही है उसने उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को विड्रो कर लिया है तथा प्रार्थी द्वारा दावा 45/2008 भैरू बनाम कालू विड्रो कर खारिज करवाने के कारण काउन्टर क्लेम स्वतः ही अप्रभावी है।अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील व्यय सहित खारिज फरमाई जावे।

7— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य आपत्ति यह ली गई हैं कि एक अन्य वाद घोषणा का प्रकरण संख्या 45/2008 लम्बित रहते अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट के आधार पर तकासमा किये जाने का निर्देश दिया गया है जो अनुचित है। जहॉ तक प्रथम आपत्ति का प्रश्न है प्रकरण संख्या 45/2008 के वादी भैरू द्वारा अपने हद तक हस्तगत अपील को विड्रा कर लिया गया है तथा उक्त वाद में भी दिनांक 26/05/2014 को विड्राा कर लिये जाने का कथन रेस्पोडेन्टस द्वारा किया गया है जिसका कोई प्रतिवाद अपीलांटस द्वारा नहीं किया गया है।इस प्रकार अपीलांटस द्वारा ली गई यह आपत्ति आधारहीन है।जहॉ तक तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट के आधार पर तकासमा किये जाने का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया गया है कि "वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारों में उनके निहित हिस्से अनुसार कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मीट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन किया जावे।कब्जे का निर्धारण करते समय पूर्व में आई तहसीलदार चौमूँ की रिपोर्ट बाबत कब्जा दिनांक 10/09/2008 का अवलोकन करना भी उचित रहेगा।" अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार की कब्जा रिपोर्ट के आधार पर बनाये जावें बल्कि उक्त रिपोर्ट का मात्र अवलोकन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा तकासमा प्रस्ताव कब्जे को प्राथमिकता देते हुए सरस नरस के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिये हैं जिनमें कोई त्रुटि नहीं है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों समेकित वाद क्रमशः 26/2008, 266/194/2008 बाबत तकासमा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित हैं तथा प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।मौके पर कब्जे आदि के सम्बन्ध में आपत्ति किये जाने के अवसर उभयपक्ष के समक्ष मौजूद हैं। इसलिए प्रस्तुत अपील में कोई सारभूत विधिक बल निहित नहीं हैं तथा मात्र विलम्ब किये जाने के उद्धेश्य से ही प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य है।

8— अतः अपील अपीलांट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2010 यथावत रखी जाती हैं।निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 22/11/2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर